फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं

कालूराम बनाम कालूराम वगै०

दावा नम्बर :- 17/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/3/24	प० वादी उप० वादी अधिवक्ता ने वादी के घर में शादी होने के कारण समय चाहा। 500 (पांच सौ) रुपये की कोस्ट पर एक और अंतिम अवसर दिया जाता है। कोस्ट की राशि सरकारी खजाने में जमा करवाकर चालान की रसीद पेश करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 28/3/24 को पेश हो।	वादी के घर में शादी होने के कारण वादी का कथन नहीं हो सकता
	28/3/24	प० वादी उप० गवाह कालूराम ने शपथ-पत्र पर चिन्ह करवाये, प्रदर्श अंकित किये और साक्ष्य बंद नहीं करवाने चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जिरह हेतु दिनांक 6/5/24 को पेश हो। कोस्ट की रसीद पेश की।	
	6/5/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 12/6/24 को पेश हो।	
	12/6/24	प० वादी उप० वादी अधिवक्ता वादी की [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया [illegible] पत्रावली [illegible] वादी का नहीं होने [illegible] जाता है। जिरह वादी उपस्थित [illegible] आकर आज हस्ताक्षर करवाये पत्रावली [illegible] पत्रावली पेश किया गया। पत्रावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं

कालूराम बनाम कालूराम वगै०

मुकदमा नम्बर :– 17 / 2020 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		फैसला तैयार होकर ई पी नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–17/2020

उनवान

कालूराम पुत्र प्रभातीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र ईश्वरलाल
2. गोठी देवी पत्नी मोहनलाल
3. बिदामी देवी पत्नी ईश्वरलाल
4. रामचन्द्र पुत्र ईश्वरलाल
5. शंकरलाल पुत्र ईश्वरलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रामप्यारी देवी पत्नी मुरलीधर, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 टि0 एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 12.06.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम अमरपुरा, पटवार हल्का अमरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खाता संख्या 331 में वर्णित खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.29 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 भाग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादपत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है। विवादग्रस्त आराजीयात के दक्षिणी पश्चिमी ओर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1612 स्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 आये दिन वादी की भूमि की सींव डोल में छेडछाड करते रहते है तथा वादी की भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान करते रहते है, वादी द्वारा फसल की सुरक्षार्थ खातेदारी भूमि की बनी हुई सींव डोल को तोडकर आवारा पशुओं को वादी की खातेदारी भूमि में प्रवेश करवाकर नुकसान कारित करवाते है तथा वादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने का प्रयास करते है जिसका प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर निरन्तर रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा आवारा पशुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वादी द्वारा उक्त आराजीयात पर अपनी भूमि की सींव डोल बना रखी है। वादी विवादित आराजीयात पर काबिज खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है जिस कारण वादी को उपरोक्त आराजीयात पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने हेतु अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का विवादित भूमि के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादी की भूमि के दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर के पडौसी खातेदार है जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 आये दिन वादी की भूमि में से जबरिया कब्जा करने की नियत से सींव डोल को तोडते रहते है तथा वादी की फसल को आवारा पशुओं से नुकसान कारित करते रहते है एवं विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में जबरिया व्यवधान कारित करते है तथा वादी की भूमि पर जबरिया निर्माण कार्य कर वादी की भूमि को हडप कर जाना चाहते है इसी विधि विरुद्ध उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी को दिनांक 25.07.2020 को भूमि पर आकर कहा कि हम विवादग्रस्त भूमि पर बनी सींव डोल तोडकर वादी की भूमि पर जबरिया अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर लेंगे तथा वादी को बेदखल करके रहेंगे जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी को ऐलानियां धमकी दी गई कि वे शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे, जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो परिणाम अच्छा नही होगा, जिस कारण वाद वादी श्रीमान्जी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 विवादग्रस्त भूमि खाता संख्या 331 में वर्णित खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.29 हैक्टेयर के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही वादी की भूमि की दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर बनी हुई सींव डोल में तोड–फोड करें, ना ही आवारा पशुओं को प्रवेश करवायें, ना ही फसल को नुकसान कारित करें, ना ही वादी की भूमि में जबरिया अतिक्रमण करें, ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें। उक्त कृत्य उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली का [illegible] किया गया। वादी के द्वारा अपनी संयुक्त सहखातेदारी भूमि का [illegible] बिना सीमाओं का निर्धारण करवाये ही पडौसी खातेदार प्रतिवादीगण संख्या [illegible] को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि विवादित भू[illegible] सह खातेदारो को भी नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

या जाकर सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। लेकिन वादी को छोडकर कोई सह खातेदार ...ी संख्या 7 भी अनुपस्थित है। जिससे प्रतित होता है कि विवादित भूमि में किसी प्रकार सें ई सीमाओ सम्बन्धित विवाद नही है नाही वादी के द्वारा सीमाओ सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य आदि प्रस्तुत किये गये है। ऐसे में वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

कालूराम पुत्र प्रभातीलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र ईश्वरलाल
2. गोठी देवी पत्नी मोहनलाल
3. बिदामी देवी पत्नी ईश्वरलाल
4. रामचन्द्र पुत्र ईश्वरलाल
5. शंकरलाल पुत्र ईश्वरलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रामप्यारी देवी पत्नी मुरलीधर, जाति जाट, निवासी ग्राम अमरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 टि0 एक्ट

मुकदमा नं0:–17 / 2020 निर्णय दिनांक:– 12.06.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाब तक .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख .... को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6. कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:44:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner